न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए/2425/2004/सीकर

श्रीमति राजकुमारी धर्मपत्नि मानसिंह जाति राजपूत निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर।

....प्रार्थिया

बनाम

1– गोरूराम पुत्र गोपीराम जाति कहार निवासी कहारों की ढाणी तन रेवासा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

2– ग्राम पंचायत, रेवासा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थिया।
श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

––

निर्णय

दिनांकः 12–06–18

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पत्रावली सं0 162/1999 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 15–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ने एक प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नं0 110 में से आने जाने का

रास्ता बंद कर देने की शिकायत अप्रार्थी सं0 2 के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि उसका रास्ता साबिक खसरानं0 610, जिसके दो खसरा नंबरान हो गए, से होकर था जो कि प्रार्थिया राजकुमारी एवं बजरंगलाल द्वारा बंद कर दिया गया, जिसे खुलवाया जावें। उक्त प्रा0 पत्र पर दिनांक 06–09–97 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 5 लिया जाकर निर्णय दिनांक 23–09–97 द्वारा आदेश दिया कि बजरंगलाल मीणा व राजकुमारी गहलोत की भूमियों के बीच की सीमा में दोनों पक्षों से बराबर भूमि लेकर उत्तर दक्षिण लम्बी भूमि 15 फुट चौडी में गोरूराम की भूमि खसरा नं0 910 तक रास्ता कायम रहेगा। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रार्थिया ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, सीकर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–06–2004 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थिया ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम पंचायत, रेवासा ने अप्रार्थी सं0 1 के प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत मानते हुए अपना आदेश पारित किया है तथा अधिनियम के अन्तर्गत पेश प्रा0 पत्र को निर्णित किए जाने की आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया। ग्राम पंचायत का आदेश विधि विरूद्ध है, जिसे अधीनस्थ अपील न्यायालय ने यथावत रखने में अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। उनका तर्क था कि अप्रार्थी सं0 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष बजरंगलाल पुत्र मंगतुराम के खिलाफ ही प्रा0 पत्र पेश किया व प्रा0 पत्र में जो कारण अंकित किए, उनसे स्पष्ट होता है कि बजरंगलाल ने कोई रास्ता अवरूद किया है तो वह स्वंय की भूमि पर किया, जो कि उसकी स्वंय की खातेदारी भूमि थी। ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सं0 1 के प्रा0 पत्र से परे जाकर अप्रार्थी सं0 1 को दादरसी प्रदान की है, जिस हेतु वह सक्षम नहीं थी। उनका यह भी तर्क था कि अप्रार्थी अपने प्रा0 पत्र में अंकित किए गए कथनों को सिद्ध नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा उसका प्रा0 पत्र निरस्त किया जाना चाहिए था। उनका तर्क था कि जब प्रार्थिया के विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई तो ग्राम पंचायत को प्रार्थिया की भूमि में से रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत ने प्रार्थिया एवं बजरंगलाल दोनों की कृषि भूमि के बीच की सीमा में दोनों पक्षों की बराबर भूमि लेकर जो रास्ता कायम करने का आदेश दिया है वह अधिनियम की धारा 251 में दी गई शक्तियों परे है। प्रार्थिया ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार नहीं थी, ऐसी स्थिति

में उसकी पीठ पीछे ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, जिससे की उसके हितों पर कुठाराघात हो। उनका तर्क था कि ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में कहीं पर भी यह निर्णित नहीं किया कि अप्रार्थी के खेत खसरा नं0 910 में जाने का रास्ता था जो प्रार्थिया के द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया। यहां तक कि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि के खसरा नंबर तक अपने प्रा0 पत्र में दर्ज नहीं किया और न ग्राम पंचायत ने नहीं दिया फिर भी ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 23–09–97 पारित कर प्रार्थिया के हितों के विपरीत आदेश पारित किया। उनका यह भी तर्क था कि जिला कलक्टर, सीकर ने अपने निर्णय में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पेश सिविल वाद सिविल न्यायाधीश(व0ख0) दांतारामगढ़ के एकपक्षीय आदेश दिनांक 06–01–2000 को प्रार्थिया की अपील अस्वीकार करने का आधार माना है किन्तु अप्रार्थी सं0 1 का उक्त वाद ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 23–09–97 के बाद का है एवं इसी आधार पर है। जबकि उन्हें तो ग्राम पंचायत के आदेश की वैलेडिटी को देखना था। उनका तर्क था कि ग्राम पंचायत को दो गांवो को गुजरने वाले रास्ते को निर्णित करने का भी अधिकार नही है व न रास्ते की चौड़ाई निर्णित करने का ही अधिकार है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम व अभिलेख के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जावें एवं अप्रार्थी सं0 1 के प्रा0 पत्र को खारिज किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित नहीं किया बल्कि प्रार्थिया द्वारा बंदज किए गए रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील के न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 23–09–97 के विरूद्ध अपील 18–11–99 को पेश की गई जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी तथा अपील देरी से पेश करने का कोई संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि प्रश्नगत रास्ते के संबंध में अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जिसका निस्तारण अप्रार्थी के पक्ष में किया जाकर प्रार्थिया को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया था कि वह वर्णित रास्ते को अवरूद्ध करने व आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान डालने से बाज रहे। उनका तर्क था कि प्रश्नगत रास्ता मौजूद है, जिसे ग्राम पंयायत ने खुलवाने में किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है, जिसे अधीनस्थ अपील न्यायालय ने उचित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जावें। अपने तर्क के समर्थन

में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने 2018(1) आर0आर0टी0 पेज 118 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 1 गोरूराम ने दिनांक 06–09–97 को सरपंच, ग्राम पंचायत, रेवासा के समक्ष एक प्रा0 पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का खेत ख0नं0 610,611 तालाब की ढाणी तन रेवासा में स्थित है। खेत में पीढियों से आने जाने वाले रास्ते को बजरंगलाल मीणा ने बंद कर दिया है, जिसे खुलवाया जावें। ग्राम पंचायत ने दिनांक 06–09–97 को प्रस्ताव सं0 5 पारित कर मौका निरीक्षण किया जाना निश्चित किया। दिनांक 23–09–97 को सरपंच व अन्य पंचगणों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया है उक्त मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि ‘‘मौका रिपोर्ट में प्रश्नगत रास्ता मौके पर बंद किया जो कि बजरंगलाल पुत्र भबूता मीणा की भूमि में से पश्चिमी सीमा पर था मौके पर पटवारी हलका ने बताया कि पुराने राजस्व रिकार्ड में इस भूमि का साबिक ख0नं0 610 था इस भूमि में से कुछ भूमि आवंटन हो चुकी है आवंटन होने के बाद काश्तकारो द्वारा अलग अलग सीमा बना ली गई है तत्पश्चात् पंचायत सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मौके पर श्री बजरंगलाल मीणा व राजकुमार पत्नि मानसिंह की भूमियों के बीच की सीमा में दोनों पक्षों से बराबर भूमि लेकर उत्तर दक्षिण लम्बी भूमि 15 फुट की चौड़ाई में अप्रार्थी सं0 1 गौरूराम की कृषि भूमि खसरा नं0 910 तक रास्ता कायम रहेगा। ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव के अलावा अप्रार्थी सं0 1 गोरूराम द्वारा सिविल न्यायालय में एक वाद उनवानी गोरूराम वगैरह बनाम बजरंगलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 06–01–2000 में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा में डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञासे पाबंद किया जाकर वाद पत्र में संलग्न मानचित्र में दर्शित रास्तो को किसी भी रूप में अवरूद करने व इसमें से वादीगण के आवागमन में किसी भी रूप में व्यवधान डालने से बाज रहने के आदेश पारित किए गए है।’’

8– ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव व सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को मध्य नजर रखते हुए हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गए समवर्ती निष्कर्ष में हम

निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9– निगरानी का क्षैत्र सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में इसके माध्यम से तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य